पत्रांक–14/निजी–923/2024– /सा0प्र0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– /06/2026

विषयः– **श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0–150/26, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के प्रभार रहित अवधि का विनियमन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक–14.04.2026 को मंत्रिपरिषद् के विघटनोपरांत श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पदभार का स्वतः प्रभार त्याग कर दिनांक–15.04.2026 के पूर्वाह्न में पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान किया गया।

2. विभागीय आदेश संख्या–7558, दिनांक–29.04.2025 द्वारा श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0–150/26 को जिला स्तर पर पंचायत–वार निर्धारित सहयोग शिविर के प्रभावी संचालन हेतु जिला पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–02.05.2026 के पूर्वाह्न में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के कार्यालय में योगदान दिया गया।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–8922, दिनांक–19.05.2026 द्वारा श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0–150/26 को संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापन किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री तिवारी द्वारा दिनांक–21.05.2026 के पूर्वाह्न में संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद का प्रभार ग्रहण किया गया।

4. अतः श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0–150/26, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का दिनांक–15.04.2026 से दिनांक–20.05.2026 तक निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जा सकता हैः–

(क) दिनांक–15.04.2026 से दिनांक–01.05.2026 तक–मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत् पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(ख) दिनांक–02.05.2026 से दिनांक–20.05.2026 तक–कर्त्तव्य अवधि के रूप में।

5. उक्त अवधि में श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0–150/26, को कोटि वेतन देय होगा।

6. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–14/निजी–923/2024– 9908 /सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 4/06/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।